



मानव संसाधन विकास विभाग

झारखण्ड सरकार, राँची

क्रम संख्या

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2013 - 2014

(कार्यालय प्रति)

(सिर्फ वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग उत्तीर्ण एवं ₹24000 से कम आय वर्ग वाले एवं अष्टम् में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र

(सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए)

जिला का नाम	जिला का कोड	फोटो प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित फोटो
प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड का कोड	
रौल नं.	जिला कोड प्रखण्ड कोड क्रमांक	

(आवेदक स्वयं या अभिभावक स्वच्छ अक्षरों में भरेंगे)

- आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- जन्म तिथि (अंकों में) (अक्षरों में)
- 01-04-2013 की आयु
- लिंग
- कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उपजाति
- पता:- (क) हिन्दी में
..... पिन कोड
- (ख) अंग्रेजी में
..... पिन कोड
- पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अंकों में):- (अक्षरों में)
(आवेदक आय ₹24000 से कम आय का प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- विद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक वर्ष 2013 में सातवाँ वर्ग उत्तीर्ण किया है :
- विद्यालय का नाम एवं प्रकार जहाँ छात्र/छात्रा अष्टम् वर्ग में अध्ययनरत् है :
(राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट)
- आवेदक का वर्ग सातवाँ में कुल प्राप्तांक : प्राप्तांक का प्रतिशत
- आवेदक का सातवाँ वर्ग में अपने समूह में स्थान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) :
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर में दिए गए सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका ₹24000 से कम वार्षिक आय/ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से है तथा इसने वर्ग सप्तम की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा अपने समूह में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये वर्ष 2013-2014 में अष्टम् वर्ग का नियमित छात्र/छात्रा है।

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर



मानव संसाधन विकास विभाग

झारखण्ड सरकार, राँची

क्रम संख्या

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2013 - 2014

(कम्प्यूटर-प्रति)

(सिर्फ वर्ष 2013 में सप्तम् वर्ग उत्तीर्ण एवं ₹24000 से कम आय वर्ग वाले एवं अष्टम् में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र

(सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए)

जिला का नाम	जिला का कोड	फोटो प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित फोटो
प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड का कोड	
रौल नं.	जिला कोड प्रखण्ड कोड क्रमांक	

(आवेदक स्वयं या अभिभावक स्वच्छ अक्षरों में भरेंगे)

- आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- जन्म तिथि (अंकों में) (अक्षरों में)
- 01-04-2013 की आयु
- लिंग
- कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उपजाति
- पता:- (क) हिन्दी में
..... पिन कोड
- (ख) अंग्रेजी में
..... पिन कोड
- पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अंकों में):- (अक्षरों में)
(आवेदक आय ₹24000 से कम आय का प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- विद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक वर्ष 2013 में सातवाँ वर्ग उत्तीर्ण किया है :
- विद्यालय का नाम एवं प्रकार जहाँ छात्र/छात्रा अष्टम् वर्ग में अध्ययनरत् है :
(राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट)
- आवेदक का वर्ग सातवाँ में कुल प्राप्तांक : प्राप्तांक का प्रतिशत
- आवेदक का सातवाँ वर्ग में अपने समूह में स्थान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) :
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर में दिए गए सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य है।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका ₹24000 से कम वार्षिक आय/ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से है तथा इसने वर्ग सप्तम की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा अपने समूह में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये वर्ष 2013-2014 में अष्टम् वर्ग का नियमित छात्र/छात्रा है।

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृति परीक्षा 2013 - 2014

(सिर्फ वर्ष 2012 में सप्तम् वर्ग उत्तीर्ण एवं ₹24000 से कम आय वर्ग वाले एवं अष्टम् में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए)

आवेदन-पत्र सह विवरणिका

1. **ik=rk :-**
(क) आवेदक झारखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीयकृत / प्रोजेक्ट/मध्य/उच्च विद्यालय में वर्ष 2013-2014 में अष्टम् वर्ग का नियमित छात्र हो।
(ख) आवेदक वर्ग सात के परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तथा अपने समूह में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
(ग) आवेदक के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 24,000/- (चौबीस हजार रुपये) से कम हो अथवा वे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हों। (बी. पी. एल. कार्ड धारक)
(घ) वैसे छात्र/छात्रा आवेदन भरने के लिए पात्र नहीं होंगे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित राज्य मेधा छात्रवृति प्राप्त करते हों।
2. **ijhfk 'kYd %&**
राज्य मेधा छात्रवृति परीक्ष पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आवेदन प्राप्त करने, भरे आवेदन पत्र जमा करने एवं परीक्षा देने हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
3. **vkonu i= ikflr LFky %&**
राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा का आवेदन-पत्र अध्ययनरत विधालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. **vkonu i= dk Hkjuk %&**
राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा का आवेदन-पत्र, आवेदक दोनो प्रति (कार्यालय प्रति एवं कम्प्युटर प्रति) भरेंगे। आवेदन-पत्र में अंकित सभी सूचनाएँ स्वच्छ अक्षरों में निर्देशानुसार भरेगे।
5. **ijhfk dk dk fo"k; %&**
राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा में निम्न विषयों की परीक्षा ली जाएगी तथा प्रश्न-पत्र का स्तर 7वी पास का होगा।
(क) हिन्दी – 40 अंक, (ख) अंग्रेजी – 20 अंक,
(ग) गणित – 40 अंक, (घ) प्राकृतिक विज्ञान – 40 अंक,
(ड.) सामाजिक विज्ञान – 40 अंक (च) बौद्धिक योग्यता – 20 अंक,
कुल – 200 अंक। सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।
6. **mUkj&i=d ij mUkj nu dh fof/k %&**
राज्य मेधा छात्रवृति परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को एक उत्तर-पत्रक, परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व दिया जाएगा। उत्तर-पत्रक में सर्वप्रथम जिला का नाम, जिला कोड, प्रखण्ड का नाम, प्रखण्ड कोड, रोल नम्बर, एवं परीक्षा की तिथि बॉल पेन से भरेंगे। उक्त सूचना भरने के पश्चात् निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी हस्ताक्षर करेंगे। प्रश्न-पत्र बुकलेट परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पूर्व दी जाएगी। परीक्षार्थी, प्रश्नों का जवाब उत्तर-पत्रक में दिए गए विकल्प गोला को बॉल पेन से पूर्णतः काला (●) कर देंगे। परीक्षार्थी गोल को काला करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लोंगे कि दिए गए जवाब सही है। तत्पश्चात् विकल्प गोला ①②③④ को काला करने का कार्य करेंगे। विकल्प गोला निम्न प्रकार से काला करेंगे – ●②③④ जैसे किसी प्रश्न का उत्तर यदि ① है तो विकल्प गोला ① को चित्र के अनुसार रंगेंगे।
7. **p;u if0;k %&**
राज्य निर्धनता-सह-मेध छात्रावृति परीक्षा योजना अन्तर्गत क्रमांक 5 में अंकित विषयों की परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। मेधा क्रम से परीक्षार्थियों में से ही प्रत्येक प्रखण्ड से (5) पांच छात्र एवं (5) छात्राओं का चयन अंतिम रूप से किया जाएगा।
8. **Nk=ofr dk jkf'k %&**
राज्य निर्धनता-सह-मेध छात्रावृति परीक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक परीक्षार्थियों का वर्ग अष्टम से दशम् वर्ग प्रतिमाह 200/- (दो सौ रुपये) दिया जाएगा। छात्र/छात्रा, अगर बीच में विद्यालय छोड़ता है या कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वैसी स्थिति मे छात्रवृति की राशि देय नहीं होगी।
9. **Nk=ofr gr lhV% dh l[;k %&**
राज्य निर्धनता-सह-मेधा-छात्रवृति परीक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में 5 (पाँच) सीट छात्रों के लिए एवं 5 (पाँच) सीट छात्राओं के लिए निर्धारित है।

सचिव
झारखण्ड अधिविध परिषद्
सह नोडल पदाधिकारी
राज्य निर्धनता-सह-मेधा-छात्रवृति परीक्षा योजना
झारखण्ड